



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 15.12.2025

थाना को0देहात पुलिस द्वारा धर्मान्तरण के अभियोग से सम्बन्धित 10 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, धार्मिक पुस्तक इत्यादि बरामद —

थाना को0देहात, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 14.12.2025 को वादी आनन्द दूबे पुत्र रामेश्वर दूबे निवासी कुरकुठिया थाना को0देहात जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध धर्म विशेष का प्रचार करने के बहाने गांव के भोले-भाले लोगों को पैसा इत्यादि का प्रलोभन व लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना को0देहात पर मु0300सं0-544/2025 धारा 3/5(1) उ0प्र0विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक को0देहात को अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी-सुरागरसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक: 15.12.2025 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुख्यबिर की सूचना के आधार पर थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खरहरा चर्च के पास से 10 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास 04 धार्मिक पुस्तक बाइबिल, 10 कॉपी किताब, 03 स्मार्ट मोबाइल फोन व 01 की-पैड मोबाइल बरामद किया गया। थाना को0देहात पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता —

1. भोला पटेल पुत्र जयशंकर निवासी तिलवाँ थाना रेवतीपुर थाना गाजीपुर(हालपता पादरी ग्राम खरहरा चर्च), उम्र करीब-35 वर्ष।
2. कृष्णकान्त तिवारी पुत्र स्व0सीताराम तिवारी निवासी बढ़ौली थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-60 वर्ष।
3. अंगू प्रसाद पुत्र विश्राम निवासी लेढू थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-31 वर्ष।
4. माया पटेल(पादरी की पत्नी) पत्नी भोलानाथ पटेल निवासिनी खरहरा थाना को0देहात मीरजापुर, उम्र करीब-30 वर्ष।
5. फूलपत्ती पत्नी गौतम निवासिनी जसोवर पहाड़ी खरहरा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-35 वर्ष।
6. सुशीला देवी पत्नी संतोष निवासिनी किरतारतारा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-32 वर्ष।
7. हीरावती देवी पत्नी भगवान निवासिनी खरहरा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-52 वर्ष।
8. रेनू पत्नी प्रदीप तिवारी निवासिनी बढ़ौली थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-40 वर्ष।
9. लक्ष्मी पत्नी बबू निवासिनी किरतारतारा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-38 वर्ष।
10. साधना पत्नी राजेन्द्र निवासिनी विश्वनाथपुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

04 धार्मिक पुस्तक बाइबिल, 10 कॉपी किताब।

03 स्मार्ट मोबाइल फोन व 01 की-पैड मोबाइल ।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-544/2025 धारा 3/5(1)उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 व 352,351(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम खरहरा चर्च के पास से, आज दिनांक: 15.12.2025 को समय 14:00 बजे

गिरफ्तारी व बरामदी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक शितलू राम व भरतलाल पाण्डेय, थाना को0देहात, मीरजापुर

मुख्य आरक्षी भीम यादव, अनिल गुप्ता, कैलेन्ड्र यादव व विक्रम विशाल सिंह

आरक्षी बृजमोहन सिंह, विपिन कुमार व बैकुण्ठ यादव

महिला आरक्षी चन्द्रकला, रश्मि श्रीवास्तव, माया रानी, प्रियंका व मंशा कुमारी



